न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 116 / 2023 — निर्णय दिनांक 13.07.2024

जीसीएमएस नम्बर 2023 / 238

गंगाराम पुत्र कूनणाराम जाति नायक निवारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवारी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।
2. चौखाराम पुत्र मालूराम जाति मेघवाल निवारी ग्राम कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिलाबीकानेर।
3. दलीप कुमार पुत्र बेगाराम जाति चमार निवारी गांव खुड़ानिया तहसील चिड़ावा जिला झूंझनू।
4. मोहम्मद बिलाल पुत्र रमजान जाति लीलगर (मुसलमान) निवारी, ईयारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. अजय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति वाल्मिकी निवासी रायपुर रानौली जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित मारू अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 की ओर से।
4. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 3 की ओर से।
5. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रतिवादीगण सं 4 व 6 की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। वादी की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1594 / 1253 तादादी 2.7822 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादी की खातेदारी भूमि के चिपते ही उतरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1596 / 1593 तादादी 1.9349 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1595 / 1593 तादादी 2.5450 हैक्टेयर भूमि मौका पर एकल की हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त खातेदारी भूमि का मूल खसरा नम्बर 668 रहा है जिसके खाता विभाजन पर खसरा नम्बर 1253 / 668 तादादी 5.8200 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 चोखाराम मेघवाल के नाम दर्ज हुई जिससे वादी ने 2.7822 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की। इसी खरारा नम्बर 1253 / 668 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की जिसके खसरा नम्बर 1596 / 1593 कायम हुए है व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 1595 / 1593 के रूप में दर्ज चली आ रही है । वादी की खातेदारी भूमि के दक्षिणी पश्चिमी तरफ प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 357 स्थित है । वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के खेत के बीच से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है।वादी ने अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पट्टिया, तारबंदी आदि कर रखी थी । प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने एकराय होकर दिनांक 03.08.2023 को वादी के खेत पर लगी पट्टियां तोड़ दी व तारबंदी हटाकर चोरी कर ले गये व वादी की खातेदारी भूमि में ट्रेक्टर आदि लगाकर भूमि समतल करने का प्रयास किया जिस पर वादी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 427 / 2023 पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज करवाई गई है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने कुछ समय पहले ही भूमि खरीद की है तथा बड़े लोगों की शह से उक्त खसरान भूमि पर कॉलोनी काटी जा रही है । वादी की भूमि प्रतिवादीगण के खेतों के बीच होने पर प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण वादी की भूमि हथिया कर अपनी भूमि में शामिल कर अवैध कॉलोनिया काटने के लिए जबरदस्ती ट्रेक्टर आदि चला रहे है । वादी ने दिनांक 14.08.2023 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप मेरी खातेदारी भूमि में प्रवेश नहीं करें तो प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने कहा कि यहां तुम्हारी कोई खातेदारी भूमि नहीं है, हमारी खातेदारी भूमि मौके पर कम है, हम तुम्हारी भूमि पर कब्जा कर हमारी भूमि पूरी करेंगे। वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि आप जोर जबरदस्ती से ऐसा नहीं करें, हम सभी अपनी अपनी खातेदारी भूमि का नाप

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:46 IST
Reason: SelfAttested

करवाकर प्रतिवादी संख्या 5 से निशानदेही लेकर सीमाये कायम कर लेते है तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये । वादी की ओर से दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2023 के प्रकरण में जांच अधिकारी ये कहते है कि जब तक आपके खेतों की पेमाईश व निशानदेही नहीं होगी तब तक हम कार्यवाही नहीं करेगे। प्रतिवादी संख्या 5 से वादी ने अपने खेत का सीमांज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 5 ने कहा कि अभी फसल का समय है इसलिए अभी सीमांज्ञान व पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जा सकती जबकि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि काश्त की हुई नहीं है और प्रतिवादी सं. 1 व 3 अपनी खातेदारी भूमि को समतल करावाकर कॉलोनी काटने पर उतारु है। यदि प्रतिवादीगण अपने गलत मन्सूबों में कामयाब होकर वादी की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती काबिज हो गये तो वादी भूमिहीन हो जावेगा। वादी प्रतिवादीगण से बाहुबल के आधार पर मुकाबला करने में सक्षम नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार रखता है । यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होने श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में काफी जगह खातेदारी भूमि लेकर कॉलोनियां काटकर जमीने विक्रय की है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि की कोई सीमांबदी नहीं रही है। प्रतिवादीगण अब बिना सीमांज्ञान व निशानदेही करवाये भूमि को समतल कर वादी की खातेदारी भूमि को जबरदस्ती अपने खेतों में शामिल करने का प्रयास कर रहे है इसलिए वादी को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांज्ञान करवाकर निशानदेही/पत्थरगढ़ी करवाकर काबिज होने का वादाधार प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त हुआ है। यही वादी का वादकारण है। वादी कानूनी व राजस्व अधिनियमों के तहत अपनी खातेदारी भूमि का सीमांज्ञान करवाकर सीमां की निशानदेही स्थापित करवाने का अधिकार रखता है। वादी नियमानुसार सीमां की निशानदेही व पेमाईश का शुल्क प्रतिवादी संख्या 5 को जमा करवाने को तैयार है। प्रतिवादी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता व वादी की खातेदारी भूमि की पेमाईश व सीमां की निशानदेही करने के लिए नियमानुसार बाध्य है फिर भी प्रतिवादी संख्या 5 जानबूझकर अपने राजकीय व कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की खातेदारी के खेत रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि बाबत यह दावा चिरनिषेधाज्ञा व सीमांज्ञान/पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो हर तरह से न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है ।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को चिरनिषेधाज्ञा डिक्री से वर्जित फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1594/1253 तादादी 2.7822 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ में प्रवेश नहीं करें, वादी के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई बाधा विघ्न नहीं डाले, ना ही वादी के खेत की भूमि में जबरन प्रवेश कर ट्रेक्टर आदि चलाकर भूमि को खुर्द बुर्द करें ना ही प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नहीं करें ना ही करवाये जिससे वादी के वेध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे कि वह मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि की पेमाईश कर मौके पर वादी को उसकी खातेदारी भूमि की निशानदेही बताकर पत्थरगढ़ी करवाये ।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी प्रतिवादीगण से आज्ञप्त फरमाया जावे ।

(घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहने व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम डिलिट करवायें जाने पर वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम डिलिट किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस करतें हुए कथन किया कि मुझ प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नंबर 357 तादादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

10.7800 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ में स्थित है जिसके उतर पूर्व में रास्ता को छोडकर वादी का खातेदारी खेत खसरा नंबर 1594/1253 स्थित है। वादी स्वयं अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान प्रतिवादीगण की सहमति से नही करवाकर बाला बाला ही न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। मै प्रतिवादी संख्या 03 वादगत खसरा भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण पैमाईस करवाकर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये पुख्ता निशानदेही अनुसार कायम करवाना चाहता हूं। वादी का दावा पैमाईश करवानें की हद तक डिक्री फरमा दिया जावे तो मुझ प्रतिवादी को उजर आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ने जरिये राजीनामा से वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादी को वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकांर किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 1594/1253 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1595/1593 तादादी 2.5450 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1596/1593 तादादी 1.9349 हैक्टेयर, व खसरा नंबर 357 तादादी 10.7800 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ में खातेदारी पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 1594/1253, 1595/1593, 1596/1593 व 357 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर वादी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:46 IST
Reason: SelfAttested